सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 86/2013

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नून्द्री मेन्द्रातान

श्री गोरधन वयस्क पुत्र स्व. श्री रेश्मा जाति चीता निवासी फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

––––––वादी

ब नाम

1– श्री बन्ना वयस्क पुत्र स्व. श्री रेश्मा जाति चीता
2– श्रीमती रुकमा वयरक पुत्री स्व. श्री रेश्मा जाति चीता
3– श्रीमती राधा वयस्क पुत्री स्व. श्री रेश्मा जाति चीता
4– श्री सक्खा वयस्क पुत्र स्व. श्री रेश्मा जाति चीता
समस्त निवासियान फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
5– श्रीमती फूला बानू पत्नि श्री मौहम्मद खान जाति मेहरात निवासी ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
6– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)
7– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
14– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर जिला–अजमेर (राज.)

––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.5.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में प्रस्तुत हुआ। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.06.2016 को बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी जिसका बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार ब्यावर को लिखा गया। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने रिपोर्ट दिनांक 31.05.2018 को शिविर में प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट में कथन किए कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपनी भूमियों का बेचान किया जा चुका है एवं वर्तमान जमाबन्दी में उनका नाम ही अंकित नहीं है एवं मौके पर प्लॉट काट कर मुटाम लगाए हुए हैं एवं सड़कें बना रखी है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने मज़में आम में रुबरु मोतबिरान मौखिक कथन किए हैं कि वादी ने भी अपने हिस्से की भूमियों का बेचान कर दिया है।

चूंकि मौके पर कृषि भूमि में मुटाम लगाकर प्लॉटनुमा स्थिति एवं सड़के बना दिए जाने से बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भी मौजूदा वाद के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा भी भूमियों का बेचान किये जाने के तथ्य सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी) "न्याय आपके द्वार-2018"

राजस्व लोक अदालत अभियान

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नून्द्री मेन्द्रतान

राजस्व वाद संख्या 86/2013

श्री गोरधन वयस्क पुत्र स्व. श्री रेशमा जाति चीता निवासी फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

———————वादी

बनाम

1– श्री बन्ना वयरक पुत्र स्व. श्री रेशमा जाति चीता
2– श्रीमती रूकमा वयस्क पुत्री स्व. श्री रेशमा जाति चीता
3– श्रीमती राधा वयस्क पुत्री स्व. श्री रेशमा जाति चीता
4– श्री सक्खा वयस्क पुत्र स्व. श्री रेशमा जाति चीता
समस्त निवासियान फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
5– श्रीमती फूला बानू पत्नि श्री मौहम्मद खान जाति मेहरात निवासी ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
6– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)
7– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
14– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर जिला–अजमेर (राज.)

—————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री सूरजसिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री शफी मौहम्मद
अधिवक्ता प्रतिवादी सं6–8 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 86/2013
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 31.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट नून्द्रीमेन्द्रातान में पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 व 11 । पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नून्द्रीमेन्द्रातान में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 31.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

.........................लगातार

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री गोरधन बनाम श्री बन्ना व अन्य
राजस्व वाद संख्या 86 / 2013
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – नून्द्रीमेन्द्रातान

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर